ग्राम पंचायत माधोनगर, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत माधोनगर विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत माधोनगर में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1	श्री अंकुश कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत माधोनगर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना ।	0.06
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	29.05
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	1.46
4	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली राशि को सरकारी कोष में जमा न करने बारे ।	0.04
5	8	रॉयल्टी की वसूली. न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.32
6	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	1.58
7	11	निर्माण सामग्री के क्रय में अधिक भुगतान ।	0.18

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई, जिन पैरों पर की गई

कार्यवाही संतोषजनक पाई गई, उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

(1)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2019 से 31.03.2021

क्र0 सं0	पैरा संख्या	निर्णीत / अनिर्णीत ।
1	3	निर्णीत । (अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरान्त)
2	4	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्राारूपित ।
3	4.1	अनिर्णीत ।
4	4.2	अनिर्णीत ।
5	4.3	अनिर्णीत ।
6	4.4	निर्णीत । (खण्ड विकास कार्यालय से अनुदान की राशि ₹ 69808 / – की प्राप्ति खाता संख्या 20016006880 में दिनांक 02.07.2021 होने व प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरे का समयोजन कर दिया गया है)
7	5.1	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्राारूपित ।
8	5.2	निर्णीत । (मोबाईल टॉवर शुल्क ₹ 10000 / – की राशि वसूल करके दिनांक 12.07.2021 को खाता संख्या 20016006880 में जमा कर दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 43 पर दर्ज है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायेाजन कर दिया गया है)
9	5.3	निर्णीत । (विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 4950 / – की राशि वसूल करके दिनांक 05.01.2022 को खाता संख्या 20016006880 में जमा कर दी गई है जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 43 पर दर्ज है। अतः पुष्टि उपरान्त पैरे का समायोजन कर दिया गया है)
10	6	निर्णीत, वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्राारूपित ।

11	7	निर्णीत । (प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरे का समयोजन कर दिया गया है ।)
12	8	अनिर्णीत ।
13	9	अनिर्णीत ।
14	10	अनिर्णीत ।
15	11	अनिर्णीत ।
16	12	अनिर्णीत ।
17	13	अनिर्णीत ।
18	14	अनिर्णीत ।
19	15	अनिर्णीत ।
20	16	अनिर्णीत ।
21	17	निर्णीत, कार्यवाही देख ली गई है ।
22	18	अनिर्णीत ।
23	19	अनिर्णीत ।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत माधोनगर, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 08.01.2024 से 10.01.2024 व 16.01.2024 से 18.01.2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	07/2022	11/2021
2022–23	12/2022	02/2023

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. **<u>अंकेक्षण शुल्क</u>** :–

ग्राम पंचायत माधोनगर विकास खण्ड बैजनाथ जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4800/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0, राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 23 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्रॉफ्ट संख्या 363935 दिनांक 24.01.2024 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई है ।

4. **वित्तीय स्थिति** :–

ग्राम पंचायत माधोनगर विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत माधोनगर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	17840.97	157000.00	13395.00	188235.97	64365.00	123870.97
2022–23	123870.97	82857.00	136744.65	343472.65	120912.00	222560.65

(2) **अनुदान** : ग्राम पंचायत माधोनगर के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021–22	1069302.68	4853826.00	44649.00	5967777.68	3299073.75	2668703.93
2022–23	2668703.93	5831512.00	65021.00	8565236.93	5659858.68	2905378.25

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, PS,5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,LADA,DRDA

A/c No. 20016006880	KCCB Baijnath		678134.1
A/c No. 88030100036939	HGB Binwanagar		2443018
cash in hand			766
		Total	**3121918**

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		222560.7
Cash Book Balance on 31.03.2022		180
Cash Book Balance on 31.03.2022		5232
Cash Book Balance on 31.03.2022		119209
Cash Book Balance on 31.03.2022		0
Cash Book Balance on 31.03.2022		2443018
Cash Book Balance on 31.03.2022		91608
Cash Book Balance on 31.03.2022		30000
Cash Book Balance on 31.03.2022		424
Cash Book Balance on 31.03.2022		96767.25
Cash Book Balance on 31.03.2022		118940
		0
		0
		0
	Total	**3127939**
	diffrence	**6020.79**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹ 0.06 लाख का अन्तर पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना निमयों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का अन्तर ₹6020.79 बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 24 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करतें हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक शेष राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखे खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निदेशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 25 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता क व ख का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. निवेशः:–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभुतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना

है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है । दिनांक 31.03.2023 को पंचायत की सभा निधि में **₹** 2,22,560/–की राशि शेष थी।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षा ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6. अनुदान राशि ₹ 29.05 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट–1) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹ 29,05,378/– की राशि उपयोग हेतु शेष थी ।

उक्त शेष अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. **पंचायत राजस्व ₹ 1.46 लाख की वसूली हेतू शेष पाया जानाः–**

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से बसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता है तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव के लिए फार्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का माँग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, मॉग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जॉच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021–22 व 2022–23 में ₹100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व (सम्पत्ति कर) ₹1,46,050/– वसूली हेतु शेष थाः–

सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	122450	60000	182450	75800	106650
2022–23	106650	60000	166650	20600	146050

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 26 दिनांक 18.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे तथा बकाया राशि ₹ 1,46,050/– शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें तथा तुरन्त प्रभाव से पंचायत राजस्व की प्रतिवर्ष नियमित वसूली करना सुनिश्चित करें।

7.2 **दुकान किराये के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने बारे ।**

अंकेक्षण में पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आय बढ़ाने हेतु तीन दुकानें किराये पर दी थी परन्तु पंचायत द्वारा नियमानुसार दुकान के किराये से सम्बन्धित अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश प्राप्त राशि, मॉग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की पूर्ण जाँच नहीं की जा सकी । दुकान किराये का अनुबन्ध पत्र तैयार नही किये गये थे जबकि अनुबन्ध पत्र बनाये जाने अपेक्षित थे ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 27 दिनांक 18.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि दुकान किराये के रख रखाव से सम्बन्धित अभिलेख तैयार कर लिये जायेंगे व अनुबन्ध पत्र तैयार करके आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा ।

वर्ष	अथशेष (₹)	दुकान किराये की मॉग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022–23	0	8700	8700	8700	0

अतः इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि ₹ 0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे :–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हि0प्र0 शिमला की अधिसूचना संख्या SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है, जिसे समय–समय पर वसूल करने उपरान्त विवाह पंजीकरण अधिनियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या 0235–00–800–03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न ग्राम पंचायत माधोनगर द्वारा वर्ष 2021–22 व 2022–23 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 4225/– वसूल की गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था ।

उक्त विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

7.4 **पंचायत राजस्व के रूप में वसूल की गई राशि को बैंक मे जमा न करवाने बारे।**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत राजस्व के रूप में राशि वसूल की गई राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया था जोकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 (2) की उल्लंघना के दृष्टिगत एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका औचित्य

स्पष्ट किया जाये, क्योंकि वसूल की गई राशि को वसूली के दिन या अगले दिन बैंक में जमा करवाना अपेक्षित था।

क्र0 सं0	रसीद सं0	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	वसूल की गई राशि	बैंक में जमा राशि	बैंक में जमा करवाने योग्य राशि
1	457679 से 457700	60	5700	0	5700
2	458000 से 458048	60	13200	0	13200
3	458049	60	2700	0	2700
4	458050	60	3000	0	3000
5	458051	60	3000	0	3000
6	458052 से 458057	60	1700	0	1700

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 28 दिनांक 28.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि पंचायत राजस्व के रूप में वसूली गई राशि को ग्राम सभा चायपान व कार्यालय व्यय पर खर्च किया गया है उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा क्रय के लिय आपूर्तिकर्ता को किये जाने वाले संदाय/भुगतान केवल कास चैक द्वारा ही किये जायेंगे ।

अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाये जायें।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलो से राशि ₹ 0.32 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज़ होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹ 32,388.75 का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 29 दिनांक 18.01.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.24 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई है। अतः भविष्य में रॉयल्टी की कटौती करने उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः ₹ 32,388.75 के अनियमित भुगतान को या तो सम्बन्धित समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा नियमानुसार वसूली उचित स्त्रोत से

करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: “0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts” में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :–

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिटिक टन	रायल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	1780	50.41	1.62	81.66	60	4900.00
	बजरी	2630	4.48	1.52	113.20	60	6792.00
	बोल्डर	2100	59.47	2.24	133.21	60	7993.00
						कुल :	**19685.00**
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2022–23	रेत	670	18.97	1.62	30.73	80	2458.00
	बजरी	800	22.65	1.52	34.42	80	2754.00
	बोल्डर	200	5.66	2.24	12.67	80	1014.00
						कुल :	**6226.00**
				कुल 2021–22 व 2022–23			**25911.00**
					पैनल्टी 25 %		6477.75
					कुल योग:		**32388.75**

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹ 1.58 लाख के स्टॉक/स्टोर का कय करना:–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक स्टोर का कय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹ 1,58,209/– के स्टॉक/स्टोर का कय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री

की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का कय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 31 दिनांक 18.01.2024 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये कय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी ।

अतः उक्त क्रय/व्यय के सम्बन्ध में निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा न करने एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना व्यय करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही कय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
47, 22.11.21	बिल नं0 324 दि0 1.11.21, सुरेश जनरल स्टोर	पाईपें, तार इत्यादि	10000.00	नि0 लिंक रोड नेगी बस्ती से मुख्य सडक की ओर SDP
61, 07.02.22	बिल नं0 32 दि0 01.0222 अमर सिंह	मिटटी की ढुलवाई	9000.00	–यथोपरि–
21, 04.08.22	बिल नं0 72 दि0 01.08.22 राकेश कुमार	दरवाजा	8000.00	नि0 कमरा GSSS Utrala SDP
33, 34 22.08.22	बिल नं0 411 दि0 31.03. 22 अमर सिंह	खच्चर ढुलवाई	18803.00	नि0 इण्टरलॉक टाईल व रिटेनिंग वाल SDP,SDRF
66, 04.02.23	बिल नं0 1493, 2056, 2854 दि0 23.7.22, 15.9. 22, 19.11.22	सरिया, एण्गल इत्यादि	98369.00	नि0 कमरा GSSS Utrala SDP
35, 19.09.22	बिल नं0 2058 दि0 15.09. 22 मनी राम शाम लाल	सैनिटरी फिटिंग	14037.00	नि0 कमरा GSSS Utrala SDP
		कुल :	**158209.00**	

10. आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 C के अनुसार TDS की कटौती न करने बारे ।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹ 100000/– या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹ 30000/– से अधिक की अदायगी की जाती है तो आहरण व संवितरण अधिकारी ठेकेदार के बिल से स्त्रोत पर व्यक्ति की दशा में 1 प्रतिशत व फर्म की दशा में 2 प्रतिशत की दर से आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी खाते में समयबद्व तिथि को जमा करवायेगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 20 दिनांक 04.08.2022 के तहत ₹ 60,000/– की राशि का भुगतान जे0सी0बी0 कार्य हेतु किया गया था । 1 प्रतिशत की दर से ₹ 600.00 बिल से स्त्रोत पर आयकर न काटने का बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 32 दिनांक 18.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि आपूतिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 सी के अनुसार टी0डी0एस0 की कटौती करके जमा करवा दी जायेगी ।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करें अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि में ऐसे अन्य मामलों की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच कर वस्तुस्थिति व नियमानुसार कृत आवश्यक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11. निर्माण सामग्री के क्रय में अनुमोदित दरों से ₹0.18 लाख के अधिक भुगतान बारे:–

वर्ष 2021–22 में आमन्त्रित निविदाओं की जाँच में पाया कि पंचायत में 80 एमएम इण्टरलॉक टाईल हेतु न्यूनतम निविदा के आधार पर प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 31.03.21 के अन्तर्गत मै0 मनी राम श्याम लाल की दरें 19.49 प्रति टाईल की दर से अनुमोदित की गई थी । निविदा में दरों के अतिरिक्त जी0एस0टी0 अलग से लेने की कोई शर्त नहीं लगाई गई थी अर्थात निविदा में दरें जी0एस0टी0 सहित भरी गई थी, लेकिन बिलों की जाँच में पाया कि निम्नलिखित वाउचरों में आपूर्तिकर्ता को जी0एस0टी0 का अतिरिक्त भुगतान करके अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 30 दिनांक 18.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सप्लायर द्वारा अनुमोदित दर के उपर जी0एस0टी0 वसूला गया है, जिसकी वसूली पंचायत द्वारा कर ली जायेगी ।

वाउचर सं0 व दिनांक	बिल सं0 व दिनांक	सामग्री का विवरण	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान	कार्य का नाम
17, 04.06.21	543, 20.05.21	2000 नं0 इण्टरलॉक टाईल	46000.00	38980.00	7020.00	जीप योग्य रोड सुरेश कुमार की दुकान से सुभाष के घर की ओर P.S.
17, 04.06.21	553, 20.05.21	2000 नं0 इण्टरलॉक टाईल	46000.00	38980.00	7020.00	जीप योग्य रोड सुरेश कुमार की दुकान से सुभाष के घर की ओर P.S.
17, 04.06.21	567, 20.05.21	1000 नं0 इण्टरलॉक टाईल	23000.00	19490.00	3510.00	जीप योग्य रोड सुरेश कुमार की दुकान से सुभाष के घर की ओर P.S.
					17550.00	

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें ।

12. निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राकल्लन, माप पंस्तिका व उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे ।

हि0प0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार करवाये गये विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश प्राक्कलन व उपयोगिता प्रमाण इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसके अभाव में किये गये कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर पर व्यय, खपत एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी। जोकि लेखा परीक्षा के प्रति न सिर्फ उदासीनता को परिलक्षित करता है अपितु निर्माण कार्यों में हुए व्यय को भी सन्देहजनक बनाता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 35 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या जीपी/01 दिनांक 18.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कुछ कार्य प्रगति पर हैं व कुछ कार्य कनिष्ठ अभियन्ता स्तर के है जिन्हें पूर्ण करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

1	नि0 बाबडी नौण राम सिंह के घर के पास 15th FC (2021-22)
2	नि0 नाली जी0पी0एस0 रोड से लभ्भा राम के घर की ओर 14th FC

अतः इस सम्बन्ध में तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

13. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्रम सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
5	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
6	बिल रजिस्टर	13	48
7	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
8	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
9	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधांन व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में

अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये ।

15. **लघु आपित्त विवरणिका :–** इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

16. **निष्कर्ष :–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

3 0 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

1762–1766 का0 150

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)291/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत माधोनगर, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

3 0 MAR 2024

का0 150

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Madhonagar" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	111743	112323	0	224066	223886	180
2	5 SFC	68382	358440	0	426822	323640	103182
3	VKVNY	118600	30000	0	148600	0	148600
4	14TH FC	108580.68	0	3293	111873.68	0	111873.7
5	15TH FC	614074	1385009	41356	2040439	0	2040439
6	LADA	0	0	0	0	0	0
7	PMKSY	30000	0	0	30000	0	30000
8	ZP	-44384	69808	0	25424	25000	424
9	SDP/SDRF	62307	850000	0	912307	678301.75	234005.3
10	DRDA	0	0	0	0	0	0
13	MNREGA	0	2048246	0	2048246	2048246	0
	Total Rs.	1069302.68	4853826	44649	5967777.68	3299073.75	2668704

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Madhonagar" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	PS	180	0	0	180	0	180
2	5 SFC	103182	333240	0	436422	431190	5232
3	VKVNY	148600	19000	0	167600	48391	119209
4	14TH FC	111873.68	0	3020	114893.68	114893.68	0
5	15TH FC	2040439	1613242	62001	3715682	1272664	2443018
6	LADA	0	780000	0	780000	688392	91608
7	PMKSY	30000	0	0	30000	0	30000
8	ZP	424	0	0	424	0	424
9	SDP/SDRF	234005.25	581359	0	815364.25	718597	96767.25
10	DRDA	0	180000	0	180000	61060	118940
13	MNREGA	0	2324671	0	2324671	2324671	0
	Total Rs.	2668703.93	5831512	65021	8565236.93	5659858.68	2905378

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, [illegible],5TH SFC,VKVNY, 14thFC, ,15th FC, SDRF,SDP,

A/c No. 20016006880	KCCB Baijnath	678134.1
A/c No. 88030100036939	HGB Binwanagar	2443018
cash in hand		766
	Total	3121918

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	222560.7
Cash Book Balance on 31.03.2022 PS	180
Cash Book Balance on 31.03.2022 5th State	5232
Cash Book Balance on 31.03.2022 VKVNY	119209
Cash Book Balance on 31.03.2022 15th FC	2443018
Cash Book Balance on 31.03.2022 LADA	91608
Cash Book Balance on 31.03.2022 PMKSY	30000
Cash Book Balance on 31.03.2022 ZP	424
Cash Book Balance on 31.03.2022 SDP/SDRF	96767.25
Cash Book Balance on 31.03.2022 DRDA	118940
Total	3127939
diffrence	6020.79

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Madhonagar
Dev Block Baijnath (Kangra) HP

Financial Position of Own sources in r/o GP Madhonagar

Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
2021-22	17840.97	157000	13395	188235.97	64365	123870.97
2022-23	123870.97	82857	136744.68	343472.65	120912	222560.65

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Madhonagar
Dev Block Baijnath (Kangra) H.P.

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 8 के सन्दर्भ में)

		GRAM PANCHAYAT MADHO NAGAR DEV. BLOCK BAIJNATH								
SR.NO.	NAME OF WORK	HEAD	VENDOR NAME	VOUCHER NO AND DATE	BILL NO&DATE	SAND (CFT)	BAJRI (CFT)	BOULDER (CFT)	BRICKS	AMOUNT
			FINACIAL YEAR 2021-22							
1	C/O LINK ROAD NEGI BASTI VILLAGE UTRRALA W.NO 4 TO MAIN ROAD TOWARDS	SDP	AMAN SINGH	46/22/11/2021/51/21/12/2021	029/2011/2021/030/20/12/2021	1180	1500	2100		168280
2	C/O SADAK MAIN ROAD TO BHAG MAL HOUSE TOWARDS	MNREGA	AMAN SINGH	026/07/11/2021	026/07/11/2021	100	200			11400
3	C/O JEEPABLE SADAK JUMA RAM HOUSE TO SCHOOL PULY	MNREGA	AMAN SINGH	025/07/11/2021	025/07/11/2021	150	250			15400
4	C/O PATH PULY TO NEGI BASTI	MNREGA	AMAN SINGH	024/07/11/2021	024/07/11/2021	200	400			22800
5	C/O PATH ROPA HAR	MNREGA	AMAN SINGH	022/07/11/2021	024/07/11/2021	150	280			16420
					TOTAL	1780	2630	2100		234300

Panchayat Secretary
Gram Panchayat Madhonagar
Dev Block Baijnath (Kangra) H.P.

— 25 —

(2)

		GRAM PANCHAYAT MADHO NAGAR DEV. BLOCK BAIJNATH							
SR.NO.	NAME OF WORK	HEAD	VENDOR NAME	VOUCHER NO AND DATE	BILL NO&DATE	SAND (CFT)	BAJRI (CFT)	BOULDER (CFT)	AMOUNT
			FINACIAL YEAR 2022-23						
1	S/O MURLI LAND TO KHARAS KHAD	15FC	AMAN SINGH/MANI RAM &SHAM LAL	84&97&85/03/02/2023	425&427&4183/01/02/2023	390	300	200	38116
2	C/O DRAIN NEAR DIWAN CHAND HOUSE	15FC	AMAN SINGH/MANI RAM &SHAM LAL	86,88/03/02/2023	425,4183/01/02/2023	100	200		12850
3	C/O DRAIN GPS LOT TO JUMA RAM HOUSE TO	15FC	AMAN SINGH/MANI RAM &SHAM LAL	89,90/03/02/2023	425,4183/01/02/2023	120	200		13828
4	C/O BABDI /NOUN NEAR RAM SINGH HOUSE	15FC	AMAN SINGH/MANI RAM &SHAM LAL	91,92/03/02/2023	425,4183/01/02/2023	60	100		6914
					TOTAL	670	800	200	71708

Panchayat Secretary
Gram Pancha Madhonagar
Dev Block Baijnath (Kangra) H.P.